लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 263
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग की स्थिति

263. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है तथा औद्योगिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन में वस्त्र उद्योग के योगदान का ब्यौरा क्या है तथा वस्त्र उद्योग में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में पारंपरिक एवं स्थानीय वस्त्र उद्योग के विस्तार हेतु निवेश बढ़ाने, बुनाई एवं प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान आवंटित/खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दुनिया भर में भारतीय वस्त्र उत्पादों का हिस्सा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस मामले में सरकार को कितनी सफलता मिली है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): भारतीय वस्त्र और अपैरल उद्योग भारत की आर्थिक वृद्धि, निर्यात को बढ़ावा देने, नौकरियां सृजित करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नवीनतम डाटा के अनुसार, वस्त्र उद्योग ने वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी में लगभग 2% और विनिर्माण उत्पादन में 11% का योगदान दिया। वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/पहलें लागू कर रही है। मुख्य योजनाओं/पहलों में मैन मेड फाइबर और अपैरल तथा तकनीकी वस्त्र पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शामिल है, ताकि बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके; अनुसंधान, इनोवेशन और विकास, संवर्धन एवं बाज़ार विकास, कौशल तथा निर्यात संवर्धन पर फोकस करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ –वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना जिसका उद्देश्य मांग आधारित, रोजगार उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र आदि के लिए शुरू से अंत तक सहायता हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) आदि हैं।

(ख): सरकार ने उत्तर प्रदेश (लखनऊ/हरदोई) में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए एक साइट को अंतिम रूप दिया है। इसके अलावा, सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में पांच विद्युतकरघा सेवा केंद्रों, अर्थात गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और टांडा को अनुदान सहायता प्रदान की है, और लगभग 1,660 करघों का भी उन्नयन किया गया है। वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत, मानक निर्धारित वस्त्र मशीनरी में पात्र निवेश के लिए एकमुश्त पूंजी निवेश सब्सिडी देकर, उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2020 से अब तक 169 लाभार्थियों को कुल 56.52 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की गई है। पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसंस्करण और वीविंग सेगमेंट में एटीयूएफएस के तहत संवितरित की गई सब्सिडी का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट योजना को लागू करने की अवधि बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त, आरओएससीटीएल के अंतर्गत शामिल न होने वाले वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया गया है। भारतीय वस्त्र एवं अपैरल क्षेत्र, जिसमें 37.8 यूएसडी का हस्तशिल्प निर्यात भी शामिल है, वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, जो वैश्विक वस्त्र एवं अपैरल व्यापार में 4% का योगदान करता है।

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण क्षेत्र और वीविंग क्षेत्र क्षेत्र में एटीयूएफएस के तहत संवितरित वर्ष-वार सब्सिडी													
क्र. सं.	विवरण	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (26.11.2025 तक)		कुल	
		संवितरित सब्सिडी के मामलों की संख्या	सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)	संवितरित सब्सिडी के मामलों की संख्या	सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)	संवितरित सब्सिडी के मामलों की संख्या	सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)	संवितरित सब्सिडी के मामलों की संख्या	सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)	संवितरित सब्सिडी के मामलों की संख्या	सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)	संवितरित सब्सिडी के मामलों की संख्या	सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)
1	**प्रसंस्करण क्षेत्र**	2	0.12	4	1.18	5	0.86	5	0.56	0	0.00	**16**	**2.72**
2	**वीविंग क्षेत्र**	4	0.47	4	0.41	15	1.91	2	0.35	0	0.00	**25**	**3.15**

***